न्यायालय जिला कलक्टर अलवर (राजस्थान)

अपील संख्या	रजि0 नम्बर	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
12/54/2025	2025/197	03.06.2025	25.11.2025

1. जोरमल पुत्र ईसब
2. खिल्लू पुत्र ईराब
3. जमूरा पुत्र ईसब
4. बाबूलाल पुत्र ईसब
5. शम्मी खां पुत्र ईसब
6. नरसी पुत्र मोरमल
7. अली पुत्र मोरमल
8. दल्ली पुत्र मोरमल
9. ताहिर पुत्र दल्ली
10. पप्पू पुत्र खिल्लू जातियान मेव निवासीयान ग्राम परसा का बास, अहमदपुर तहसील मालाखेडा, जिला अलवर–अपीलांट्स

–अपीलाण्ट

बनाम

1. रोहिताश पुत्र भागीरथ जाति बलाई हाल निवासी ग्राग ढाणी जोडली तहसील नीगका थाना जिला सीकर–असल रेस्पोडेन्ट
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार गालाखेडा

–असल रेस्पोडेण्ट

अपील विरुद्ध तहसीलदार मालाखेडा आदेश दिनांक 07.10.2024 प्रार्थना–पत्र 183सी आर टी एक्ट वाके तहसील मालाखेडा जिला अलवर राज0।

उपस्थितः–
01–श्री गो. इजाज खान एवं शौकत खान –वकील अपी0
02–श्री रामनिवास जाट एंड परमचन्द –वकील रेसपो0
03–श्री दीपक मीना (पैरोकार सरकार) –राजकीय अधिवक्ता

–:निर्णय:–

वकील अपीलाण्ट ने यह अपील विरूद्ध तहसीलदार गालाखेड़ा के निर्णय दिनांक 07.10.2024 बमुकदमा प्रार्थना–पत्र 183सी आर टी एक्ट प्रकरण संख्या 1/24 वाके तहसील मालाखेड़ा स्वीकार किया गया, से व्यथित होकर प्रस्तुत की है। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो0 को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ अदालत का रिकॉर्ड तलब किया गया। उभय पक्ष विद्वान वकील की बहस सुनी गई।

विद्वान वकील अपीलाण्ट ने अपनी बहरा में अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अधिनस्थ न्यायालय ने अपना कथित आदेश फरमाने से पूर्व ना तो कोई नोटिस अपीलांट्स को दिया गया और ना ही उनको पैरवी आदि करने का मौका सादिर फरमाया गया। बल्कि अधिनस्थ न्यायालय ने अपना कथित आदेश अपीलांट्स के खिलाफ इकतरफा में सादिर फरमाया है, जिस कारण अपीलांट्स अपना पक्ष अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं कर सके।

अधिनस्थ न्यायालय ने धारा 183बी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत आराजी खसरा नम्बर 117/1059 रकबा 0.44 हेक्टर वाके ग्राम अहमदपुर तहसील मालाखेडा का कब्जा अप्रार्थी अराल रेस्पोडेन्ट को दिलाये जाने का आदेश फरमाया गया था, जिस आदेश की पालना में अपीलांट्स ने उपरोक्त आराजी का कब्जा दिनांक 15–03–2024 को प्रार्थी रेस्पोडेन्ट को मौके पर संभला दिया और उसने मौके पर कब्जा प्राप्त कर लिया। इस प्रकार दिनांक 15–03–2024 को अपीलांट्स द्वारा विवादित आराजी का कब्जा रेस्पोडेन्ट को दिये जाने के पश्चात से अपीलांट का उपरोक्त आराजी से कोई संबंध व सरोकार किसी प्रकार से नहीं है और ना दिनांक 15–03–2024 के बाद कभी भी विवादित आराजी पर अपीलांट्स का कब्जा नहीं रहा और ना कभी अपीलांट ने विवादित आराजी खसरा नम्बर 117/1059 के किसी भी भाग पर ना तो कभी चरी की काश्त की और ना शेष 0.24 हेक्टर में कोई जोत लगाई, पटवारी हल्का द्वारा जो रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है वह मौके के खिलाफ की गई है और उक्त रिपोर्ट के आधार पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट्स द्वारा पुनः कब्जा करने का जो आरोप लगाया है वह गलत है अपीलांट्स का दिनांक 15–03–2024 के बाद से उक्त आराजी पर कभी कोई कब्जा नहीं रहा और ना वर्तमान में अपीलांट्स का कब्जा है। अधिनस्थ न्यायालय ने जो तीन माह का दीवानी कारावास भिजवाये जाने व प्रत्येक अपीलांट पर 2–2 हजार रूपये जुर्माना लगाये जाने का आदेश गलत तौर पर सादिर फरमाया है।

अतः निवेदन है कि अपील/अपीलांट्स स्वीकार फरमाई जाकर आज्ञा अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार मालाखेडा दिनांक 07–10–2024 निरस्त फरमाये जाने का आदेश फरमाया जावे।

विद्वान वकील रेस्पोडेंट ने अपील में वर्णित तथ्यों के संबंध में कथन किया गया है कि वाके ग्राम अहमदपुर तहसील मालाखेडा के आराजी खसरा नं० 117/1059 रकबा 0.44 है० का खातेदार काश्तकार है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थना–पत्र अर्न्तगत धारा 183बी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत निर्णय दिनांक 15.06.2022 के द्वारा विवादित आराजी खसरा नं० 117/1059 रकबा 0.44 है० वाके ग्राम अहमदपुर तहसील मालाखेडा से अप्रार्थीगण/अपीलांट को बेदखल कर प्रार्थी को मौके पर कब्जा देने के आदेश परित किये गये जिसकी पालना नहीं होने पर प्रार्थी रेस्पोडेंट ने अधिनस्थ न्यायालय में अन्तार्गत धारा 183सी का प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर निर्णय दिनांक 22.06.2022 की पालना में विवादित आराजी खसरा नं० 177/1059 रकबा 0.44 वाके ग्राम अहमदपुर तहसील मालाखेडा से अप्रार्थीगण को बेदखल किया जाकर दिनांक 15.03.2024 से प्रार्थी को कब्जा दिलाया गया परन्तु अप्रार्थीगण द्वारा आराजी खसरा नं० 117/1059 रकबा 0.44 में से लगभग 0.20 है० में चरी काश्त की तथा 0.24 है० में जोत लगी हुई थी। उक्त चरी व जोत पूर्व अतिक्रमी जोरगल खिल्लू रागीखा जमूरा बाबूलाल पिता इसब, अल्ली, नरसिंह पिता जोरमल व ताहिर पुत्र दल्ली जाति मेव निवासी अहमदपुर के द्वारा अतिक्रमण किया गया। उक्त प्रार्थना–पत्र 188बी पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अप्रार्थीगण को सुनवाई का विधिवत अवसर प्रदान करते हुए दिनांक 07.10.2024 को निर्णय पारित कर अप्रार्थीगण को 3 माह की कारावास जेल की सजा एवं 2–2 हजार रूपये जुर्माना लगाने के आदेश के साथ उक्त आराजी पर पुनः कब्जा दिलाने के आदेश पारित किये गये। अपीलांट गलत तथ्यों के आधार पर अपील पेश की गई है एवं अपीलांट का यह कथन भी असत्य है कि वर्तगान में उक्त आराजी पर उनका कब्जा नहीं है। अतः न्यायालय श्रीमान से निवेदन है कि अपील अपीलांट अस्वीकार फरमायी जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय यथावत रखा जाकर रेस्पोडेंट को मौके पर नियमानुसार कब्जा दिलवाये जाने की आज्ञा फरमायी जावे।

जिला कलक्टर
अलवर (राज०)

पत्रावली का अवलोकन किया गया एवं उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस पर चिन्तन–मनन किया गया पत्रावली में संलग्न अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अध्ययन किया गया। अपीलांट का मुख्य कथन है कि अधिनस्थ न्यायालय के द्वारा अपीलांट को बिना सुने व बिना पैरवी हेतु कोई मौका नहीं दिया जा कर एक पक्षीय निर्णय पारित किया गया है जबकि अपीलांट ने उपरोक्त विवादित आराजी का कब्जा दिनांक 15.03.2024 को प्रार्थी रेस्पोडेंट को मौके पर राम्गलवा दिया गया और उराने मौके पर कब्जा प्राप्त कर लिया। इराके पश्चात अपीलांट ने उक्त आराजी पर किसी भी भाग पर ना तो कभी चरी की काश्त की और न ही 0.24 है० पर जोत लगाई गई। पटवारी हल्का द्वारा जो रिपोर्ट प्ररतुत की गई है वा मौके के खिलाफ प्रस्तुत की गई है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा 3 माह का दिवानी कारावास भिजवाने व प्रत्येक अपीलांट पर 2–2 हजार रूपये का जुर्गाना लगाये जाने के आदेश गलत तौर पर फरमाये गये हैं जब अपीलांट का उक्त आराजी पर कब्जा ही नहीं है तो उक्त निर्णय गलत तथ्यों पर जारी किया गया है। इसके साथ अपीलांट ने अपील में प्रार्थना–पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि अब मौके पर हग अपीलांट का कोई कब्जा नहीं है जिसकी मौके की जांच पटवारी हल्का से ली जाकर अपील अपीलांट स्वीकार कर सिविल कारावास एवं जुर्माना से मुक्त करने का आदेश फरगाया जावे। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 15.06.2022 के द्वारा विवादित आराजी खसरा नं० 117/1059 रकबा 0.44 है० वाके ग्राग अहमदपुर तहसील मालाखेडा को अन्तर्गत धारा 183बी के तहत अप्रार्थीगण को बेदखल कर प्रार्थी को कब्जा देने के आदेश पारित किये गये। उक्त आदेश की पालना में प्रार्थी रेस्पोडेंट को मौके पर कब्जा नहीं दिये जाने के कारण पुनः प्रार्थी रेस्पोडेंट के द्वारा प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 183सी आर टी एक्ट के तहत अधिनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत किया गया जिस पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा विधिवत पक्षकारों की सुनवाई की जाकर एवं पटवारी हल्का एवं भू–अभिलेख निरिक्षक मौके की रिपोर्ट तलब की जाकर दिनांक 07.10.2024 को निर्णय पारित किया गया कि अप्रार्थी/अपीलांट के द्वारा पुनः कब्जा कर अतिक्रमण किया जाना साबित होने पर अप्रार्थी/अपीलांट मौके से बेदखल कर अप्रार्थीगण को तीन माह का सिविल कारावास और 2–2 हजार रूपये के जुर्माने से दंडित किया गया। परन्तु उक्त निर्णय की पालना अभी तक मौके पर नहीं होने के कारण अधिनस्थ न्यायालय के द्वारा पारित निर्णय में किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं होने पर एवं अपील अपीलांट सारहीन होने पर खारिज किये जाने योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार मालाखेडा के निर्णय दिनांक 07.10.2024 को यथावत रखा जाता है। निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को मूल रिकॉर्ड के साथ पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील जमा लेख भण्डार हो।

निर्णय आज दिनांक 25.11.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. आर्तिका शुक्ला)
जिला कलेक्टर,
अलवर (राज0)